-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा निर्माणाधीन मकान से विद्युत तार चोरी करने वाले 02 नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गया 13 किलो विद्युत तार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को वादी श्री रविप्रकाश पुत्र तेजपाल निवासी म0न0-2 बी/1929 मौ0 न्यू नवीन नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के नये निर्माणाधीन मकान मे घुसकर मकान की बिजली वायरिंग तोडकर तार चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 530/24 धारा 331(4)/305(a) BNS के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर **नकबजन/अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गणेश मन्दिर वाली गली हसनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व 2. अमन कश्यप पुत्र राजेश निवासी गणेश मन्दिर वाली गली हसनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को मिनी बाईपास चौराहे से चुन्हेटी की ओर सडक किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से हाथ मे पकडे प्लास्टिक के सफेद कट्टे मे जली अवस्था में तांबे का तार बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम दोनो ने दिनांक 18/19.09.2024 की रात्रि मे पन्त विहार कालोनी मे एक व्यक्ति के मकान से उसकी बिजली के तार की सारी बाईन्डिग उखाडकर तार चोरी किये थे जिसे हमने दुर्गा विहार कालोनी के पीछे खाली मैदान मे रबड जलाकर 13 किलो तांबे का तार अलग निकाल लिया था। जिसे आज हम दोनो चोरी छिपे बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. गौरव पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गणेश मन्दिर वाली गली हसनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. अमन कश्यप पुत्र राजेश निवासी गणेश मन्दिर वाली गली हसनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

13 किलो जली अवस्था में विद्युत तार बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
3. है0का0 327 मेहरबान थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:23.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र मीर सिंह निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 353/22 व मु0अ0सं0 07/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0)/न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर को ग्राम चन्दपुर मजबता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

नरेन्द्र पुत्र मीर सिंह निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- कां0 2410 पंकज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- हो0गा0 2064 रामजीलाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः-23.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा फायरिंग करने की घटना में वाछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2024 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा जियो पैट्रोल पम्प के पास रोड जाम करके दोनो पक्षो के करीब 35-40 लोगो द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने के नियत से फायरिंग करने, जिसमे दो व्यक्तियो के गोली लगने के कारण घायल हो जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 10/2024 धारा 147/148/149/307/352/341/323/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट व मु0अ0स0 11/2024 धारा 147/148/149/504/307 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 23.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण **1.समर पुत्र प्रीतम सिंह नि0 ग्राम सढोली हरिया थाना को0 देहात सहारनपुर व 2. प्रिंस राठी पुत्र परविन्द्र नि0 ग्राम पहासू थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हमारी, परीक्षित से मित्रता है। परीक्षित की वर्चस्व को लेकर अजय प्रधान भिक्कनपुर से लडाई चल रही है। दिनांक 15.01.2024 समय करीब 4 बजे शाम को हमें परिक्षित ने जियो पेट्रोल पम्प सहारनपुर अम्बाला हाईवे पर बुलाया था वहाँ पर परीक्षित पक्ष के लडको ने अजय प्रधान के साथ आये ल़डको के ऊपर तथा अजय प्रधान पक्ष ने परीक्षित पक्ष के साथ आये लडको ने एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से तमंचो से फायरिंग कर दी थी तथा कुछ लडको ने टंकी के पाईपो से मारपीट की थी। पुलिस की गाडी आते देख हम दोनों भी अपने साथियो के साथ खेतो की तरफ भाग गया था। हमारे पास 02 डन्डे थे जो हम लोगों ने भागते समय जंगल में कही फेक दिया थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. समर पुत्र प्रितम सिंह नि0 ग्राम सढोली हरिया थाना को0 देहात सहारनपुर
2. प्रिंस राठी पुत्र परविन्द्र नि0 ग्राम पहासू थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समर

1. मु0अ0सं0 186/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109/191(3)/3(5) बीएनएस चालानी थाना नागल सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 10/24 धारा 147,148,149,307,352,341,323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट चा0 थाना सरसावा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रिंस

1. मु0अ0सं0 11/24 धारा 147/148/149/504/307 भा0द0वि0 चा0 थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 10/24 धारा 147,148,149,307,352,341,323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट चा0 थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री निप्पी सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1050 नितिन कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण व अन्य सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 21.09.2024 को वादी राशिद पुत्र स्व0 रियासत निवासी ग्राम कातलाखुर्द थाना चिलकाना सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से आभूषण व 5000/- रुपये चोरी कर ले जाने की हो जाने की सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0-218/2024 धारा 305 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट आदि की घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक शातिर चोर/**अभियुक्त वसीम पुत्र शमीम नि0 ग्राम पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर** को सुल्तानपुर बाईपास तिराहा गुमटी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित चोरी के आभूषण पीली धातु (02 कडे, 02 अंगुठी, 02 कानो की बाली, 02 कानो की झुमकी, 01 चैन), सफेद धातु (03 जोड़ी पैरो की पाजेब/पायल, 01 जोडी हाथो के पंजागडे, 01 जोडी बच्चो के कड़े व 01 02 छल्ले बच्चो के व 5000/- रूपये नकद बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) की वृद्धि की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त वसीम उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 20.09.2024 की रात्रि में मैने यह सामान ग्राम कातलाखुर्द से चोरी की थी जिसको मै आज बैचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

वसीम पुत्र शमीम निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर ।

अभियुक्त वसीम का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0—053/18 धारा—380/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0—336/18 धारा—2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0—600/20 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0—488/21 धारा-- 63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0—021/22 धारा—380/411/454 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0—016/22 धारा—380/511 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0-218/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामद सम्पत्तिः-

- पीली धातु (02 कडे, 02 अंगुठी, 02 कानो की बाली, 02 कानो की झुमकी, 01 चैन)
- सफेद धातु (03 जोड़ी पैरो की पाजेब, 01 जोडी हाथो के पंजागडे, 01 जोडी बच्चो के कड़े व 02 छल्ले बच्चो के
- 5000/- रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा **01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त मुकेश पुत्र झमेलू निवासी ग्राम ठसका जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 1767/22 मु0अ0सं0-295/13 धारा 60/62 आबकारी अधि0 चालानी थाना नानौता मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डी0)/जे0एम0 देवबन्द को ग्राम ठसका से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुकेश पुत्र झमेलू निवासी ग्राम ठसका जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का0 1459 विकास कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22/09/2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त रोहित पुत्र चन्द्र निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा करीब 06 माह पूर्व वादिया के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 426/24 धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पोक्सो अधिनियम बनाम रोहित उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त राहुल पुत्र चन्द्र निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम कुतुबखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र चन्द्र निवासी ग्राम कुतुबखेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

(1) व0उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(2) हे0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(3) म0का0 836 अनिता ताना गंगोह जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23/09/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा अलग-अलग चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी का सामान व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि **1. दिनांक 12.07.2024 को वादी श्री नीटू पुत्र राजकुमार नि0 मौ0 छत्ता लक्खूवाला कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 11.07.2024 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर में घुसकर जेवरात व नकदी चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 279/24 धारा 305(ए) बी0एन0एस0, **2. दिनांक 14/08/2024 को वादी श्री रमेश गिरि पुत्र रामेश्वर गिरि निवासी जंगली आश्रम वाईपास रोड रामबाग गंगोह जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 13/08/24 को अज्ञात चोरो द्वारा जंगली बाबा आश्रम के बाबा के धुने में 01 इन्वर्टर/बैटरा, 01 गैस सिलेण्डर, 01 गैस चुला, 02 कट्टे गेहू, हीटर, बर्तन व पूजा का सामान आदि चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 349/24 धारा 305(ए) बीएनएस में व **3. दिनांक 22/09/24 को वादी श्री सागर पुत्र संजय नि0 ग्राम ततारपुर कलां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के होटल के अन्दर से 01 सिलेंडर, 01 इनर्वटर, 01 बैटरा (कंपनी स्टैगर रंग नीला) चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 422/24 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी की घटनाओ की रोकथाम व नकबजन अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में चोरी की घटनाओ का अनावरण करते हुए चैकिंग के दौरान **02 शातिर नकबजन/अभियुक्तगण 1. संजू पुत्र सन्दीप नि0 मौ0 टाकान निकट गणेश चौक कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व 2. गिरेन्द्र उर्फ चन्दु पुत्र नरेन्द्र निवासी टीचर्स कालोनी मौ0 छत्ता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहा कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 इन्वर्टर, 1820/- रूपये नकद व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटर साईकिल नं0 PB12M0295 बरामद तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर अभियुक्त सन्जू उपरोक्त के घर से चोरी का 01 इन्वर्टर, 01 बैटरा, 02 एल0पी0जी0 सिलेन्डर भी बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तो ने पूछने पर एक साथ बताया कि दिनांक 11.09.2024 को हमने गंगोह सहारनपुर रोड जय माता दी होटल जिस पर हम दोनो काम करते थे, में चोरी की थी जहां से हमने 01 बैटरा, 01 सिलेण्डर, 01 इन्वर्टर चोरी किया था इसके अलावा करीब एक से सवा महीने पहले बाईपास रोड पर पडने वाले जंगली बाबा के आश्रम में बने मकान में से हमारे द्वारा इस इन्वर्टर के अलावा एक बैटरा, एक इण्डेन का सिलेण्डर, चूल्हा, एक हीटर , कुछ बर्तन, दो कट्टे गेहू चोरी किये थे जिसमें से हमने बैटरा, चूल्हा, हीटर तथा बर्तन सस्ते दामो में राह चलते कबाडियो को बेच दिये थे तथा गेहू हमने पिसवाकर खा लिये और इसके अलावा भी जुलाई के महीने मे भी मौहल्ला लख्खूवाला में मन्दिर वाली गली में अन्दर बन्द पडे मकान में लगभग 3 बजे दिन में चोरी की थी जहा से हम सिर्फ कुछ रुपये मिले थे।

बरामदगी का विवरण

- 1820/- रुपये नकद
- 01 बैटरा
- 02 इन्वर्टर
- 02 सिलेन्डर
- 01 मोटरसाइकिल (घटनाओं में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

(1) संजू पुत्र सन्दीप नि0 मौ0 टाकान निकट गणेश चौक कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) गिरेन्द्र उर्फ चन्दु पुत्र नरेन्द्र निवासी टीचर्स कालोनी मौ0 छत्ता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 336 आमीन थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 404 मनीष थाना गंगोह जिला सहारनपुर